RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-12
December -2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

भारत में रक्षा नियोजन का विकासः कल और आज

डॉ0 विजेन्द्र सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष; रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन सकलडीहा पी0 जी0 कालेज, सकलडीहा चन्दौली, उ0 प्र0

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 10 December 2018

Keywords
राष्ट्रीय हित, रक्षा योजना, रणनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा.

***Corresponding Author**
Email: vijendradefence[at]gmail.com

ABSTRACT

भारत में रक्षा योजन निर्माण एवं प्रक्रिया स्वतन्त्रता के समय से ही वह महत्व नहीं प्राप्त कर सकी, जिसकी आवश्यकता थी। रक्षा योजना निर्माण हेतु समय–समय पर जो प्रयास किये गये, समितियाँ बनाई गईं वे बदलती परिस्थितियों में देश की रक्षा जरूरतों के मूल्यांकन एवं तद्नुसार योजना निर्माण में अनेकानेक कारणों से सफल नहीं रह सकीं। अंततः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने अप्रैल 2018 में रक्षा योजना समिति (DPC) का निर्माण किया। प्रस्तुत लेख भारत में रक्षा योजना की प्रक्रिया के विकास का एक वर्णनात्मक आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है और भारत में रक्षा योजना निर्माण एवं उसके सुगम एवं सफल कार्यान्वयन हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है।

प्रस्तावना

सामान्यतः नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित अवधि में निश्चित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का उचित एवं तार्किक व्यवस्थापन एवं नियन्त्रण किया जाता है। इसका प्रयोग आम तौर पर आर्थिक नियोजन के रूप में अधिक होता है जिसमें देश के राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का तार्किक व्यवस्थापन एवं नियन्त्रण किया जाता है।

किसी राष्ट्र की रक्षा प्रमुखतः उसकी रक्षा तैयारियों पर निर्भर करती है और रक्षा तैयारी रक्षा संसाधनों, बजट, रक्षा नीति एवं रक्षा योजनाओं पर निर्भर करती है। बिना सटीक एवं अभीष्ट रक्षा योजना के किसी भी देश की रक्षा तैयारी नहीं की जा सकती है। रक्षा योजना किसी देश के राष्ट्रीय हितों एवं महान स्त्रातेजी के उद्देश्यों को रक्षा अवस्थापनाओं की क्षमता एवं शक्ति के द्वारा एक निश्चित समय एवं संसाधनों के माध्यम से उपलब्ध परिस्थितियों में प्राप्त करने की विधि एवं प्रयासों का एक समुच्चय होती है।

सामान्य तौर पर भावी खतरों एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप सैन्य क्षमता एवं राष्ट्रीय शक्ति के अन्य घटकों का निश्चित समय में अधिकतम उपयोग करने की दीर्घकालीन योजना एवं विधि ही रक्षा नियोजन है। किसी राष्ट्र की रक्षा योजना के निम्न घटक होते हैं–

(i) पूर्व, वर्तमान एवं भावी खतरों का आकलन
(ii) राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण
(iii) राष्ट्रीय सैन्य क्षमता एवं शक्ति का सटीक आकलन
(iv) आकलन के अनुसार योजना निर्माण एवं परिवर्तन
(v) उपरोक्त के अनुरूप वित्त का अधिग्रहण, निर्धारण एवं प्रबन्धन।

प्रस्तुत लेख में भारत में रक्षा नियोजन के विकास का एक वर्णनात्मक एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए निम्न समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा–

- भारत अब तक एक स्थायी प्रक्रिया एवं तंत्र रक्षा नियोजन हेतु क्यों नहीं विकसित कर सका?
- रक्षा योजनायें क्यों विफल होती रहीं?
- हमारी सेनाओं का आधुनिकीकरण क्यों नहीं हो पा रहा है?
- भारत रक्षा सम्बन्धी शोध एवं विकास में क्यों पीछे रह जा रहा है?

भारत में रक्षा नियोजन का इतिहास

भारत में स्वतंत्रता से पूर्व रक्षा बजट का आम बजट में लगभग आधा हिस्सा होता था। स्वतंत्रता के बाद 1947–48 की कश्मीर समस्या के बावजूद भारत में सेनाओं की संख्या कम की जाने लगी। उस समय कोई खास रक्षा नियोजन की प्रणाली विकसित नहीं थी। खाद्यान्नों का अभाव था, उद्योग धंधो, कल कारखानों, यातायात आदि आधारभूत संरचनात्मक ढ़ाँचों को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा था। 1962 के भारत–चीन संघर्ष के उपरान्त पहली बार रक्षा नियोजन हेतु सोचा जाना प्रारम्भ हुआ और रक्षा मंत्रालय के अधीन एक रक्षा योजना प्रकोष्ठ (Defence Planning Cell) का गठन किया गया जिसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय रक्षा योजनाओं का निर्माण था। इस तरह प्रथम पंचवर्षीय रक्षा योजना पहली बार 1964 से 1969 के लिए प्रस्तुत की गयी। तब से आज तक पंचवर्षीय रक्षा योजनायें बनती रही हैं। भारत की पंचवर्षीय रक्षा योजनायें में इस प्रकार रही हैं।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

तालिका:1
भारत में पंचवर्षीय रक्षा योजनाओं का विवरण

क्रम संख्या	पंचवर्षीय रक्षा योजना	पंचवर्षीय रक्षा योजना की अवधि	पंचवर्षीय रक्षा योजना की स्थिति
1	प्रथम पंचवर्षीय रक्षा योजना	1964–1969	-
2	द्वितीय पंचवर्षीय रक्षा योजना	1969–1974	–
3	तृतीय पंचवर्षीय रक्षा योजना	1974–1979	–
4	चतुर्थ पंचवर्षीय रक्षा योजना	1979–1984	–
5	पंचम पंचवर्षीय रक्षा योजना	स्रोत उपलब्ध नहीं	–
6	षष्टम पंचवर्षीय रक्षा योजना	स्रोत उपलब्ध नहीं	–
7	सप्तम पंचवर्षीय रक्षा योजना	स्रोत उपलब्ध नहीं	–
8	अष्टम पंचवर्षीय रक्षा योजना	स्रोत उपलब्ध नहीं	–
9	नवम् पंचवर्षीय रक्षा योजना	स्रोत उपलब्ध नहीं	–
10	दशम् पंचवर्षीय रक्षा योजना	2002–2007	वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं
11	ग्यारहवीं पंचवर्षीय रक्षा योजना	2007–2012	वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं
12	बारहवी पंचवर्षीय रक्षा योजना	2012–2017	वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं
13	तेरहवीं पंचवर्षीय रक्षा योजना	2017–2022	–

Note: Data collected from different sources

बाद में पंचवर्षीय रक्षा योजनायें सामान्य पंचवर्षीय योजनाओं के साथ समेकित हो गयीं। किन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप सफलता नहीं प्राप्त कर सकीं। कई बार तो रक्षा मंत्रालय में इन्हें अनुमोदन तक नहीं मिला। रक्षा योजना प्रकोष्ठों (DPCs) एवं पंचवर्षीय रक्षा योजनाओं की कमियॉ अतिशीघ्र दृष्टिगत होने लगीं और रक्षा योजनाओं हेतु दूसरे विकल्पों पर विचार होने लगे। इस तरह अनेक समितियों एवं प्रकोष्ठों को रक्षा योजना निर्माण का उत्तरदायित्व समय–समय पर सौंपा गया और इस तरह भारत में रक्षा नियोजन पद्धति का विकास हुआ। इसे निम्न तालिका से समझा जा सकता है।

तालिका: 2
भारत में रक्षा नियोजन विकास तालिका

Se No	Year	Agency Name	Members	Work Assigned
1	1964	Defence Planning Cell (DPC)	under Defence Minister	Preparation of five year defence plan
2	1977	Committee For Defence Planning (CDP)	• Cabinet Secretary • Principal Secretary to PM • Defence Secretary • Secretary Defence Production and Supplies • Secretary R&D, • Finance Secretary • Secretary Planning Commission • Secretary (R) in the Cabinet • Secretariat and the three Service	• Allocate resources among the Services • undertake regular assessments relevant to defence planning
4	1986	Directorate General Of Defence Planning Staff (DGDPS)	under the Chiefs of Staff Committee (COSC), drew officials from the Services, Ministries of External Affairs and Finance, DRDO and MoD	• Threat analysis and formulation of threat assessments for various time frames; • Evolution military aims; • Evolution of concept of combined operations;

RRIJM 2015, All Rights Reserved

				• Conception of and recommendations regarding balanced force levels to achieve military aims; • Carrying out join training and joint logistic management; • Co-ordinating perspective planning for 15/20 years period; and • Close interaction with R&D, Defence Production, Industry and Finance.i
5	2001	Head Quarters Integrated Defence Staf (HQ IDS)	under the Chief of Integrated Defence Staff to the Chairman, Chiefs of Staff Committee (CISC)	Long Term Integrated Perspective Plan (LTIPP) and Five Year Defence Plan
6	2018	Defence Planning Committee (DPC)	• Chairman Chiefs Of The Staff Committee (COSC) • Service Chiefs • Defence Secretary • Foreign Secretary • Secretary (Expenditure) in Finance Ministry	'analyse and evaluate all relevant inputs relating to defence planning", which includes the national defence and security priorities, foreign policy imperatives, operational directives and associated requirements, relevant strategic and security-related doctrines, defence acquisition and infrastructure development plans, including the 15-year Long-Term Integrated Perspective Plan (LTIPP), defence technology and development of the Indian defence industry and global technological advancement.[ii]

Note: Data collected from different sources

वर्तमान रक्षा नियोजन 15 वर्षीय दीर्घकालिक समेकित योजना (Long Term Integrated Perspective Plan- LTIPP), पंचवर्षीय सर्विसेज कैपिटल एक्विजिशन प्लान (Five Year Services Capital Acquisition Plan- SCAP) जो कि 'पंचवर्षीय रक्षा योजना' के नाम से भी जाना जाता है – और वार्षिक एक्विजिशन प्लान (Annual Acquisition Plan- AAP) जो कि वास्तव में द्विवर्षीय रोल आन प्लान (two-year roll-on plan) है, पर आधारित है।

1जनवरी, 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग (National Institution for Transforming India– NITI Aayog) अस्तित्व में आ गया। इसका कार्य 15 वर्षीय दीर्घकालिक योजना देश के सामाजिक एवं सम्पोषित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाना है। यह आन्तरिक सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा को भी अपने आप में समाहित करता है।

केन्द्र सरकार ने अप्रैल, 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एन एस ए) अजीत डोभाल की अध्यक्षता में एक रक्षा योजना समिति (डी पी सी) का गठन किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एन एस ए) के अलावा विदेश सचिव, चीफ्स आफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन, थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के प्रमुख व वित्त सचिव (व्यय) भी रक्षा योजना समिति (डी पी सी) के सदस्य होंगे। जरूरत पड़ने पर रक्षा योजना समिति के अध्यक्ष सामरिक एवं रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों को भी कमेटी के सदस्य के रूप में शमिल कर सकते हैं।[iii] रक्षा योजना समिति के निम्न कार्य होंगे–

- राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीति और सैन्य सिद्धान्तों का मंसौदा तैयार करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धों के बारे में रणनीति और देश में डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना।
- रक्षा आयात बढ़ाने की रणनीति पर काम करना।
- रक्षा योजना एवं विदेश नीति की जरूरतों से जुड़े इनपुट्स का विश्लेषण व मूल्यांकन करना।
- अगले 15 वर्षों के लिए एकीकृत प्लान के तहत रक्षा खरीद बढ़ाने और बुनियादी ढ़ॉचा विकसित करने की आवश्यकता पर भी ध्यान केन्द्रित करना।
- भारतीय रक्षा उद्योग को विकसित करने के साथ उन्नत तकनीक हासिल करने के लिए उपाय करना।

साथ ही रक्षा योजना समिति अन्य सैन्य बलों के लिए क्षमता विस्तार योजनाओं को भी प्राथमिकता देगी। डीपीसी

RRIJM 2015, All Rights Reserved

अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तय समय में सीधे रक्षा मंत्री को सौंपेगी ताकि जरूरत के अनुसार मंजूरी लेने में तेजी आ सके।[iv]

रक्षा योजना समिति (डी पी सी) की मदद के लिए कई उपसमितियॉ भी होंगी जो विभिन्न विषयों पर उसे सटीक सलाह देंगी।[v] नीति एवं रणनीति, योजना एवं क्षमता विस्तार, रक्षा कूटनीति एवं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इको–सिस्टम में इन उपसमितियों का गठन किया जाएगा।

भारत में रक्षा बजट का वितरण

भारत में प्रतिवर्ष रक्षा बजट आम बजट के साथ ही वित मंत्री, भारत सरकार के द्वारा पेश किया जाता रहा है। यही कारण है कि भारत में रक्षा को वह महत्व नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। भारत में रक्षा मंत्रालय का वित विभाग (Division) ही रक्षा विभाग, रक्षा आपूर्ति एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग सहित मंत्रालय के समस्त वित्तीय व्यवहारों का प्रबन्धन करता है। वर्तमान में भारतीय रक्षा बजट के दो प्रमुख मद निम्न होते हैं –

1. राजस्व व्यय।
2. पूँजीगत व्यय।

राजस्व व्यय कार्यरत सैन्य कर्मियों के वेतन (आदि) एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन पर व्यय होता है। सम्पूर्ण पूँजीगत व्यय पूँजी अधिग्रहण (Capital acquisition) एवं गैर पूँजी अधिग्रहण (Other than capital acquisition) मदों हेतु निर्धारित किया जाता है। पूँजी अधिग्रहण (Capital acquisition) व्यय नवीन शस्त्र प्रणालियों एवं प्लेटफार्म की खरीददारी जो सेना के आधुनिकीकरण हेतु आवश्यक होती है, के लिए निर्धारित किया जाता है।[vi]

भारत में रक्षा नियोजन में समस्यायें

भारत में रक्षा योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन में सबसे बड़ी बाधा यह रही है कि रक्षा सचिव, रक्षा सचिव (वित्त) आदि असैनिक व्यक्तियों जिनकी रक्षा योजना एवं बजट निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है, उनको अनुभव नहीं होता है। साथ ही साथ ये असैनिक अधिकारी उच्च सैन्य अधिकारियों से पदानुक्रम में नीचे होते हैं, अतः यहाँ अहम् (ego) की समस्या प्रबलतम रूप में आती है। रक्षा बजट प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है किन्तु योजनायें भविष्य के 15–20 वर्षों की आवश्यकताओं एवं खतरों का आकलन करके तैयार करनी होती हैं। खतरों की प्रकृति भी बदलती रहती है और इनका सटीक आकलन भी सम्भव नहीं होता है। कई बार खतरे अनपेक्षित रूप से अचानक प्रकट होते हैं। दूसरी ओर प्रौद्योगिकियाँ पुरानी पड़ती रहती हैं और शत्रु नवीन रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों से युक्त होता है। ऐसे में रक्षा सम्बन्धी योजनाओं के निर्माण में तालमेल (Synergy) एवं शीघ्रता अति आवश्यक हो जाती है। इसीलिए हमारी सेनाओं का आधुनिकीकरण नहीं हो पा रहा है और भारत रक्षा सम्बन्धी शोध एवं विकास में पीछे रह जा रहा है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा के प्रति जो चेतना सरकारों में होनी चाहिए थी, वह चेतना सरकारों में रही ही नहीं। पहले तो अल्पमत की सरकारें बनती रहीं जो सदैव अपनी स्थिरता के प्रति ही परेशान रहती थीं और रक्षा पर दीर्घकालीन योजनाओं पर ध्यान नहीं दे सकीं। पंचवर्षीय रक्षा योजनाओं को महत्व नहीं दिया गया। प्रारम्भ से लेकर बाद तक कोई भी रक्षा योजना सफल नहीं हो सकी। वर्तमान रक्षा योजना समिति से आशा है कि सफल हो सकेगी, क्योंकि सेना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को सीधे रिपोर्ट करेंगी और खतरों का आकलन एवं सैन्य आवश्यकताओं की प्राथमिकता का निर्धारण अपेक्षाकृत तेजी से हो सकेगा। यह समय बतायेगा कि वित्त मंत्रालय रक्षा जरूरतों एवं समस्याओं को किस तरह देखता है?

सन्दर्भ

[i] Behera; Laxman K. Defence Planning in India. https://idsa.in/system/files/jds_4_3_lkbehera.pdf, P128
[ii] Behera; Laxman K Behera; Laxman K. https://idsa.in/idsacomments/creation-of-defence-planning-committee-lkbehera-190418. April 19, 2018
[iii] https://naidunia.jagran.com/national-defense-planning-committee-constituted-under-nsa-doval- 1678771. 12.10.2018
[iv] ogh
[v] ogh
[vi] Singh Vijendra (2018). Comparison between Defence Expenditure in India and Pakistan in respect to their Security Scenarios: An Analysis. RESEARCH REVIEW: International Journal of Multidisciplinary. Vol 3. Issue 11. Page 275-276